

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-91 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 12.08.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर संशोधित कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45 / (एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

कण्डिका क्रमांक 59 की उपकण्डिका 03 अर्थात् "तहसील खुरई में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां" विलोपित की जाकर उसके स्थान पर "तहसील खुरई में पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खुरई (अर्थात् रिक्त न्यायालय) द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां" जोड़ी जाती है।

नोट:- 01. उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत रहेगा।

02. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(महेश कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

5089

पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 12.08.2025

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर।
 2. पंजीयन लिपिक खुरई।
 3. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ खुरई।
- की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)